



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16589-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 6643 वर्ष 2004

कृष्ण पाल और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : बृज लाल शुक्ला
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. कार्यालय की दिनांक 22.09.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों अपीलकर्ता, अर्थात् अपीलकर्ता संख्या 1 और 2, कृष्ण पाल और श्रीमती कृष्णा, का निधन हो चुका है।

2. तदनुसार, अपील को उपशमित मानकर खारिज किया जाता है।

3. यदि अवर न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो गया है, तो उसे इस आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय को लौटा दिया जाए।

(जय कृष्ण उपाध्याय, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

एकेटी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"